राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 **जयपुर, दिनांक 18 JUN 2020**

आदेश

राज्य के कुछ शहरो के मास्टर प्लानो में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में जनोपयोगी सुविधायें यथा सीवजरेज ट्रीटमेन्ट प्लान, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बॉयोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल व ग्रिड सब–स्टेशन इत्यादि अनुज्ञेय है परन्तु कुछ शहरो के मास्टर प्लानों में परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय की जा सकने वाली इन जनोपयोगी सुविधाओं का वर्णन नही किया गया है, जिसके कारण भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः समस्त शहरो के मास्टर प्लानो में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, वेयर हाउस एवम गोदाम, जनोपयोगी सुविधायें यथा–सीवजरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बॉयोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल, ग्रिड सब–स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि सुविधायें अनुज्ञेय होगी एवं इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य जनसुविधाओं से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रकरणो में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग,जयपुर
7. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
9. संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम